

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल 2011—वैशाख 7, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 2614-166-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अप्रैल, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०११

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २३ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २७ अप्रैल, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह दिनांक २७ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा ५ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

बस यात्रा भत्ता.

"५ प्रत्येक सदस्य को तथा धारा ६-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार प्रत्येक व्यक्ति को पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से बस यात्रा भत्ता दिया जाएगा."

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2011

क्र. 2615-166-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.15 of 2011.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 23rd April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 27th April, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 27th April, 2010.

Substitution of Section 5.

2. For Section 5 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the following Section shall be substituted, namely :—

Bus Travelling Allowance.

"5. There shall be paid to every member and every person entitled to pension under section 6-A Bus Travelling Allowance at the rate of five hundred rupees per mensem."